



**THE STUDY**  
By Manikant Singh



## जन विश्वास बिल पारित

### चर्चा में क्यों ?

- ❖ हाल ही में जन विश्वास विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पारित किया जा चुका है।
- ❖ **उद्देश्य-** फार्मास्युटिकल क्षेत्र में व्यापार करने को सुविधाजनक बनाना।
- ❖ विधेयक के प्रावधान दवा निर्माताओं को छूट देते हैं।
- ❖ यह कुछ अपराधों के लिए कारावास या जुर्माने को खत्म करने के लिए 42 कानूनों में 183 प्रावधानों में संशोधन करेगा।
- ❖ राज्यसभा में पारित जन विश्वास विधेयक भारत में दवाओं के निर्माण, भंडारण और बिक्री को नियंत्रित करने वाले कानून के दो प्रावधानों में संशोधन करेगा।

### जन विश्वास बिल दवा कानून में क्या बदलाव करता है ?

- ❖ जन विश्वास विधेयक औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दो बदलाव करेगा।
- ❖ **पहला संशोधन-** यह विवादास्पद नहीं है, जो उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बार-बार सरकारी विश्लेषण या परीक्षण रिपोर्ट का उपयोग करने वाली कंपनियों के लिए मौजूदा कानून की धारा 30 (2) के तहत कारावास को खत्म कर देगा।
- ❖ वर्तमान में, कंपनियों को बार-बार उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद और कम से कम दस हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ता है। जन विश्वास विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार यह केवल जुर्माने में बदल जाएगा लेकिन पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ **दूसरा संशोधन** - यह विवादास्पद है क्योंकि मौजूदा कानून की धारा 32B (1) को बदल देगा ताकि धारा 27 (D) के तहत अपराधों के "कंपाउंडिंग" की अनुमति मिल सके।
- ❖ कंपाउंडिंग एक कानूनी प्रावधान है जो किसी को आपराधिक कार्यवाही से गुजरने के बजाय जुर्माना भरने की अनुमति देता है।
- ❖ 27 (D) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को एक से दो साल के बीच कारावास और कम से कम 20,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा।
- ❖ लेकिन, अब एक वैकल्पिक तंत्र होगा जहां कंपनी अदालत में आपराधिक कार्यवाही के बजाय जुर्माना भरने के लिए सहमत हो सकती है।
- ❖ मौजूदा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27 में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है –

मिलावटी या नकली दवाएं जो मौत या गंभीर समस्या का कारण बनती हैं, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है,

मिलावटी दवाएं जो इसके अंतर्गत नहीं आती हैं बिना लाइसेंस के निर्मित दवाओं की पिछली श्रेणी में पांच साल तक की सजा हो सकती है,

पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाली दवाओं के अलावा अन्य नकली दवाओं पर सात साल तक की सजा हो सकती है।

- ❖ धारा 27(d) किसी भी ऐसे अपराध को कवर करती है जो a, b और c श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है।
- ❖ जबकि मौजूदा दवा कानून पहले से ही अन्य अपराधों को संयोजित करने की अनुमति देता है, कई लोगों ने धारा 27 (d) को शामिल करने का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि इसमें ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जो मानक गुणवत्ता (NSQ) की नहीं है।



## दवा निर्माताओं द्वारा किस प्रकार के अपराधों को बढ़ाया जा सकता है?

- ❖ नवीन प्रावधान उन निर्माताओं के लिए उपलब्ध होंगे जिनकी दवाएं NSQ हो सकती हैं।
- ❖ एक दवा के NSQ होने का अर्थ है कि यह भारतीय फार्माकोपिया द्वारा उस विशेष उत्पाद के लिए निर्धारित कुछ आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। इसमें ऐसी दवाएं शामिल होंगी जो विघटन परीक्षण में विफल हो जाती हैं
- ❖ NSQ दवाएं पूरी तरह से नुकसान रहित नहीं हैं। 30% सक्रिय घटक वाले एंटीबायोटिक से किसी व्यक्ति के संक्रमण का प्रभावी ढंग से इलाज नहीं हो सकता है और बैक्टीरिया एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बन सकता है।
- ❖ "यह प्रावधान, केवल उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा जो नकली या मिलावटी दवाएं नहीं बनाती हैं, जिनका घटिया दवाएं बनाने का इरादा नहीं है और जो इसके खिलाफ सावधानी बरतते हैं।"
- ❖ "धारा 27 (d) के तहत कई मामलों में ड्रग इंस्पेक्टर कड़ी मेहनत से एक मामला तैयार करते हैं, यह वर्षों तक अदालत में रहता है, और फिर निर्माता को वैसे भी जुर्माना भरना पड़ता है। या, कभी-कभी जिन कंपनियों में छोटी-मोटी कमियाँ होती हैं जिन्हें वे ठीक करना चाहते हैं वे वर्षों तक मुकदमेबाजी में फंसी रहती हैं।
- ❖ इस प्रकार के मामलों में कंपाउंडिंग एक वैकल्पिक तंत्र है। यह ट्रैफिक चालान की तरह है - यदि वे गलती स्वीकार करते हैं, कमियां सुधारते हैं और जुर्माना भरते हैं, तो वे अदालती कार्यवाही से बच सकते हैं।
- ❖ अनुसूची M में दवा अधिनियम दवा निर्माताओं के लिए स्थान या प्रक्रियाओं जैसी सभी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करता है।
- ❖ देश में दवा विनिर्माण में सुधार के लिए 2018 में M अनुसूची में जो बदलाव किए गए थे, उन्हें सभी दवा निर्माताओं द्वारा अपनाया जाना बाकी है।



- ❖ निर्धारित समय के भीतर उपायों को लागू नहीं करने वालों पर धारा 27 (d) के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा।
- ❖ उद्योगों की लंबे समय से मांग रही है कि व्यापार मालिकों के उत्पीड़न को कम करने के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाए।
- ❖ यदि कंपनियों द्वारा ऐसे अपराधों को दोहराया जाता है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। "कुछ अपराधों के शमन की अनुमति देने लेकिन बार-बार अपराध करने या इरादे से अपराध करने पर सख्त सजा देने से न केवल फार्मास्युटिकल उद्योग को फलने-फूलने में मदद मिलेगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि वे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाएं।"



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669